HB ESTATE DEVELOPERS LTD.

Regd. Office : Plot No. 31, Echelon Institutional Area, Sector - 32, Gurugram -122001 (Haryana)
Ph.:0124-4675500, Fax:0124-4370985, E-mail:corporate@hbestate.com
Website : www.hbestate.com, CIN : L99999HR1994PLC034146

Date: April 14, 2026

The Listing Department
BSE Limited,
Pheroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai - 400 001

Scrip Code: 532334

Sub: Newspaper publication regarding special window for re-lodgement of transfer requests of physical shares

Dear Sir / Madam,

In accordance with SEBI circular no. SEBI/HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD.I.3750/2026 dated January 30, 2026 and in continuation to Newspaper Advertisement published by the Company on February 14, 2026, a special window has been opened for re-lodgement of transfer requests of physical securities which were sold/ purchased prior to April 1, 2019, which shall be open for a period of one year from February 5, 2026 to February 4, 2027, applicable for such transfer requests which were submitted earlier and were rejected/ returned/ not attended due to deficiency of documents/ process/ or otherwise.

Pursuant to the aforesaid, the Company has published the newspaper advertisement(s) detailing the opening of the special window in the editions of Business Standard (English and Hindi) on April 14, 2026. Please find enclosed herewith newspaper clippings of the notice.

The copies of the said advertisements are also available on the website of the Company, **www.hbestate.com.**

You are requested to take the above information on record and oblige.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **HB Estate Developers Limited**

N V K Rao
Company Secretary and Compliance Officer
Mem. No. A 35382

Encl: As Above

Cement firms may post healthy volumes for Q4

However, higher input costs may weigh on margins

PRACHI PISAL
Mumbai, 13 April

Q4 estimates

Company	Net profit (₹ cr)	Y-o-Y chg (%)	Volume (mn tonnes)	Y-o-Y chg (%)
UltraTech	2,716.6	9.1	45.4	10.7
Ambuja Cement	383.5	-13.3	19.9	9.5
Shree Cement	517.4	-10.6	10.9	10.7
JK Cement	295.0	-18.3	6.5	11.5
Dalmia Bharat	325.2	-8.7	9.0	4.9

Sources: Motilal Oswal Financial Services, JM Financial

Top cement companies are expected to post healthy volume growth during the March quarter of FY26 (Q4FY26), supported by stronger construction activity and government capital expenditure. However, profitability is likely to remain under pressure due to rising fuel and packaging costs, say analysts.

Analysts at Motilal Oswal Financial Services expect their cement coverage universe to report about 10 per cent year-on-year (Y-o-Y) surge in revenue and 4 per cent Y-o-Y growth in earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation (Ebitda). Profit after tax (PAT) may decline about 1 per cent in Q4.

Aggregate cement volumes are estimated to rise about 9 per cent to 126 million tonnes, led by improved project execution and a pickup in construction activity. Domestic cement demand remained healthy during the quarter, even as profitability faced pressure from rising input costs following geopolitical disruptions in West Asia.

Akshay Shetty, research analyst at Mirae Asset Sharekhan, stated that pan-Indian prices rose around ₹7-10/bag in January, ₹2-3/bag in February, and ₹4-5/bag in March, translating into an expected 1-3 per cent Y-o-Y realisation improvement in Q4. Analysts at Kotak Institutional Equities estimate all-India average prices (adjusted for goods and services tax or GST revisions) rose about 1.5 per cent quarter-on-quarter (Q-o-Q) and 0.9 per cent Y-o-Y in Q4. It was led by improvements in the non-trade segment, particularly in the southern markets.

RESULTS PREVIEW

However, according to Anand Kulkarni, director, Crisil Ratings, the anticipated healthy demand, combined with improved prices, is expected to drive profitability for cement players in Q4.

Despite improved volumes and pricing, margin expansion is estimated to have remained constrained due to higher energy and packaging costs triggered by geopolitical tensions in West Asia. The West Asia crisis has led to 11-23 per cent correction in stock prices of cement companies.

Motilal Oswal Financial Services estimates Ebitda per tonne would decline 6 per cent Y-o-Y to about ₹950, even as it rose about 15 per cent Q-o-Q on operating leverage.

Average Ebitda margin (excluding Grasim) is expected to contract 1.2 percentage points Y-o-Y to around 18 per cent. Imported fuel costs rose sharply during the quarter. Average imported petcoke and coal prices increased 15-20 per cent month-on-month (M-o-M) in March 2026, while polypropylene bag prices surged 35-45 per cent, increasing packaging costs, Motilal Oswal said.

Analysts at JM Financial estimate US cost and freight (CFR) petcoke prices rose to about $142 per tonne in March 2026, the highest level since March 2023. This implies a potential cost increase of ₹200-220 per tonne.

Meanwhile, analysts at Yes Securities noted that companies typically maintain around 45 days of fuel inventory, limiting the immediate impact of rising energy costs on Q4 profitability. The full impact is expected to be visible from Q1FY27 onwards.

Kulkarni added that the impact of higher petcoke and coal prices on fourth-quarter earnings is likely to remain moderate, as companies continued to draw from lower-cost inventories.

However, power and fuel costs account for nearly 30 per cent of production costs, making them a key risk if elevated prices persist.

Large cement manufacturers are expected to outperform the industry average on volume growth during the quarter. JM Financial estimates coverage universe volumes to grow about 9 per cent Y-o-Y, with UltraTech Cement, Shree Cement, and JK Cement likely to report double-digit growth.

Ambuja Cements is expected to report about 9 per cent growth, while Dalmia Bharat and JSW Cement may post 5-6 per cent growth. In contrast, Ramco Cements and Birla Corporation are likely to lag with 2-4 per cent growth.

Analysts at Ambit Capital expect UltraTech Cement to gain market share during the quarter, while Shree Cement and Ambuja Cements may see relatively weaker fixed-cost absorption due to market share losses.

More on business-standard.com

YOUR MONEY

HEALTH INSURANCE FOR CARDIAC PATIENTS

Specialised policies can help get coverage, but check terms

HIMALI PATEL

Heart disease is no longer only a late-life health and financial shock. It is affecting Indians in their 20s and 30s. Around one in three cardiac claims exceeds ₹1.7 lakh, and in severe cases costs cross ₹5 lakh, especially when intensive care unit (ICU) care or surgery is involved, according to Plum, an employee insurance and health benefits company.

"According to estimates from the Indian Council of Medical Research and World Health Organization, nearly 60-70 million Indians are currently living with some form of heart disease," says Narendra Bharindwal, president, Insurance Brokers Association of India. He adds that India sees roughly 2-2.5 million new cases annually.

Repercussions of early onset

Contracting heart disease early affects insurability. "It leads to higher underwriting scrutiny, including detailed medical tests such as treadmill test (TMT), Echo, and angiography history," says Arun Ramamurthy, cofounder, Staywell.Health. The insured could face a waiting period of two to three years for cardiac-related claims.

Insurers may offer a standard health insurance policy. "But they may impose a higher premium through risk loading and waiting periods for cardiac-related claims. Policies may come with permanent exclusions for certain cardiac procedures or sub-limits on procedures like angioplasty and bypass surgery," says Bharindwal.

Ramamurthy adds that premiums may increase by 30 to 80 per cent, and the co-pay clause could range from 10 to 30 per cent. If the condition is severe or recent, insurers may decline coverage for a standard health policy.

When a specialised policy makes sense

A specialised indemnity heart policy (which covers heart and other ailments and procedures as well) makes sense for someone diagnosed with a coronary disease, or one who has undergone a procedure like angioplasty or bypass surgery.

"Buyers may also consider a specialised cardiac policy when their proposals for a standard policy are denied, heavy premium loading is imposed, or the person wants faster and certain coverage," says Ramamurthy. These plans may also come with a shorter waiting period.

How these policies work

Specialised heart policies are of two types: Indemnity-based and benefit-based. An indemnity-based cover reimburses hospitalisation expenses related to cardiac (and other) ailments. A fixed-benefit plan provides a lump sum payout on diagnosis. In this category, the buyer may choose either a cardiac-specific plan or a critical illness plan (which pays a benefit for a range of ailments).

Tighter terms and conditions

People who already have a cardiac condition may have to pay a higher premium for a specialised indemnity policy. The sum insured may be limited. High out-of-pocket exposure is another concern. "Policyholders may end up paying from their own pocket due to sub-limits, co-pay clauses, or non-payable items," says Shilpa Arora, cofounder and chief operating officer (COO), Insurance Samadhan.

Key pre-purchase checks

Choose a sum insured that can absorb the full treatment cost. "If one prefers treatment in tertiary care centres or by senior cardiologists, the sum insured should be sufficient," says Arti Mulik, chief technical officer, Universal Sompo General Insurance.

Ensure that the policy does not impose restrictive sub-limits on room rent or ICU charges. Choosing the right room rent limit is crucial. "All associated medical costs increase or decrease in proportion to the type of room chosen during hospitalisation," says Mulik.

Watch for disease-wise caps on cardiac treatments. Review the co-payment clause and the strength of the hospital network. "Avoid policies that look affordable upfront but come with hidden restrictions," says Arora. Be cautious about employer-provided coverage. "They are often insufficient for serious cardiac events and may not continue if one changes jobs," says Arora.

The writer is a Mumbai-based independent journalist

Cardiac covers you may consider

Star Cardiac Care
Insurer: Star Health
Type: Indemnity
Sum insured: ₹3-4 lakh
Premium: ₹16,000-₹20,000
Nature: Cardiac-specific indemnity product

Care Heart
Insurer: Care Health
Type: Indemnity
Sum insured: Up to ₹10 lakh
Premium: ₹20,000-₹40,000
Nature: Covers heart patients via underwriting

Critical Illness
Insurer: HDFC ERGO
Type: Fixed benefit
Sum insured: ₹5-10 lakh
Premium: ₹5,000-₹12,000
Nature: One-time payout

Indicative premiums for ₹5-10 lakh sum insured at age 40. Exact premium will vary by medical history, city, and underwriting Source: Staywell.Health

TDS, TCS changes in new tax year: What shifts for NRIs, investors, travel

The new financial year has brought into force a series of changes to tax deducted at source (TDS) and tax collected at source (TCS) rules from April 1, 2026, aimed at making tax collection more predictable and less cumbersome for individuals. The reforms span foreign remittances, property transactions, and investment income, with a clear focus on lowering upfront tax burden and simplifying compliance.

Lower TCS to ease cash flow

A key change is the move to a uniform 2 per cent TCS rate across most foreign remittances and overseas tour spends.

Simpler property deals for NRIs

Another major relief is for resident buyers purchasing property from non-resident Indians (NRIs). From October 1, 2026, buyers will no longer need a tax deduction account number (TAN); PAN will suffice.

Key changes at a glance

- Foreign remittances (liberalised remittance scheme or LRS)
Before: Up to 20 per cent TCS in some cases
After: Flat 2 per cent TCS
- Overseas tour packages
Before: 5-20 per cent TCS
After: 2 per cent TCS
- NRI property purchase
Before: TAN mandatory
After: PAN sufficient
- TDS declarations
Before: Multiple forms
After: Single consolidated form

(All changes effective FY27 unless specified)

Read full report here: mybs.in/2g5OWM9

COMPILED BY AMIT KUMAR

सिक्योरिटाईजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

अनु. क्र.	कर्जदाता (ओं) का नाम (ए)	गिरवी संपत्ति(यों) का विवरण (बी)	एन.पी.ए की तारीख (सी)	बकाया राशि (रू.) (डी)
1.	कर्ज खाता क्र. HHLNOI00458223 1. पंकज कुमार भागीदार शेर ए पंजाब बस सर्विस 2. नतिन	यूनिट नंबर 1205, बारहवीं मंजिल, ब्लॉक/टावर नंबर ट्यूलिप, जिसका कारपेट एरिया 88.00 वर्ग मीटर (947.00 वर्ग फीट) है और कुल क्षेत्र 153.29 वर्ग मीटर (1650.00 वर्ग फीट) है, गैराज/बंद पार्किंग नंबर 1096 के साथ, ऊपरी बेसमेंट, माप 13.75 वर्ग मीटर, सार्वजनिक क्षेत्रों और सुविधाओं में आनुपातिक अविभाजित हिस्से के साथ, ''गौर सौंदर्यम'' नामक प्रोजेक्ट में, जो प्लॉट नंबर 05सी पर निर्मित है, सेक्टर टेक जोन-1V, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर-201303, उत्तर प्रदेश।	03.02.2026	रु. 45,80,550.05/- (रुपए पैंतालीस लाख अस्सी हजार पांच सौ पचास और पांच पैसे मात्र) 16.03.2026 के अनुसार

कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला(ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चर्या में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पाने वाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है।
उधार लेने वाले(लों) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भुगतान में लगातार चूक होने के कारण उधार लेने वाले(लों) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडो के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वगीकृत किया गया है। परिणामस्वरूप प्रत्येक उधार लेने वाले को अधिनियमन की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई है।
उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए कंपनी एतद्द्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवान करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अद्यतन ब्याज, लागतें, तथा शुल्कों सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने / उनके पूर्ण दायित्वों का निर्वहन करें, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपत्ति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी।
कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, ''कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चो, लागतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधि के अंदर सुरक्षित आस्ति का मोचन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपत्ति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता''
सरफेसी अधिनियमन की धारा 13 की उप-धारा (13) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित हैं।

कृते सम्मान कैपिटल लिमिटेड
(पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
स्थान : गौतम बुद्ध नगर प्राधिकृत अधिकारी

एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड
ACRE MAKING ASSETS WORK
कॉर्पोरेट कार्यालय : यूनिट नंबर 502, सी विंग, वन बीकेसी, प्लॉट नंबर सी - 66, जी - ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई - 400051। टेलीफोन : 022 68643101।
पंजीकृत कार्यालय : 14वीं मंजिल, इरोस कॉर्पोरेट टॉवर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली - 110019।
ई-मेल : acre.arc@acreindia.in I वेबसाइट : www.acreindia.in I CIN : U65993DL2002PLC115769

सिक्योरिटाईजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

अनु. क्र.	कर्जदाता (ओं) का नाम (ए)	गिरवी संपत्ति(यों) का विवरण (बी)	एन.पी.ए की तारीख (सी)	बकाया राशि (रू.) (डी)
1.	कर्ज खाता क्र. D019XII (आईएचएफएल का पहले का कर्ज खाता क्र. HHLAGR00200118) 1. राखी सोलंकी उर्फ राखी (सह-उधारकर्ता, स्वर्गीय देवेंद्र सिंह की पत्नी और कानूनी उत्तराधिकारी)	प्लॉट नंबर 94-सी पर बने घर के सभी भाग और खंड, खसरा नंबर 1033, क्षेत्र 166.66 वर्ग गज या 139.34 वर्ग मीटर, कवर्ड क्षेत्र 35 वर्ग मीटर है, शेष खुला क्षेत्र, शशि नगर में स्थित है, मौजा सिकंदरा बहिस्ताबाद लोहामंडी वार्ड तहसील और जिला आगरा-282005, उत्तर प्रदेश, जिसका माप पूर्व से पश्चिम 30 फीट और उत्तर से दक्षिण 50 फीट है।	05.12.2019	रु. 20,75,879.37/- (रुपए बीस लाख पचहत्तर हजार आठ सौ उनासी और सैंतीस पैसे मात्र) 02.03.2026 के अनुसार

कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला(ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चर्या में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पाने वाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है।
उधार लेने वाले(लों) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भुगतान में लगातार चूक होने के कारण उधार लेने वाले(लों) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडो के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वगीकृत किया गया है। परिणामस्वरूप प्रत्येक उधार लेने वाले को अधिनियमन की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई है।
उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए कंपनी एतद्द्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवान करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अद्यतन ब्याज, लागतें, तथा शुल्कों सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने / उनके पूर्ण दायित्वों का निर्वहन करें, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपत्ति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी।
कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, ''कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चो, लागतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधि के अंदर सुरक्षित आस्ति का मोचन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपत्ति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता''।
सरफेसी अधिनियमन की धारा 13 की उप-धारा (13) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित हैं।
''किसी भी शिकायत के लिए आप श्री मोहम्मद शारिक मलिक, शिकायत निवारण अधिकारी से, फोन नंबर 011 - 66115609, ई-मेल : complaint@acreindia.in पर संपर्क कर सकते हैं. विस्तृत नीति संगठन के अंदर शिकायत निवारण तंत्र पर https://www.acreindia.in/compliance पर देखी जा सकती है''।

कृते एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड
ए सी आर ई - 102 - के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य करते हुए
स्थान : आगरा प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक सूचना

सूचना दी जाती है कि मेरे मुवक्किल सीईई-ईएस डेवलपमेंट कनसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में मैसर्स कनसल्टिंग इंजीनियरिंग सर्विसेस (इंडिया) प्रा. लि. के नाम से ज्ञात), जिसका पैन कार्ड नंबर AADCC6394D है, जो कि कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत गठित एक कंपनी है तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत संचालित है, जिसका पंजीकृत कार्यालय जे-217, साकेत, नई दिल्ली-110 017 में स्थित है तथा इसका कार्यालय पता 41-ए, मेकर टावर्स-ई, चौथी मंजिल, कफ परेड, मुंबई-400005 है, की कफ परेड, मुंबई-400 005 स्थित उसकी इकाई सं. 41-ए, मेकर टावर्स-ई, चौथी मंजिल कफ परेड, मुंबई-400 005 (मेकर टावर "ई" प्रिमाइसेस को-ऑप सोसाइटी लिमिटेड एक को-ऑपरेटिव सोसाइटी) के साथ बिल्डिंग के कम्पाउंड में एक कार पार्किंग की जगह सं. 06 (मालिकाना आधार पर), जिसका विस्तृत विवरण यहां नीचे अनुसूची में उल्लेखित है, की संपत्ति के शीर्षक की जांच करना चाहते हैं।

अनुसूची

सभी पाँच शेयर, जिनकी विशिष्ट संख्या 031 से 035 (दोनों सहित) हैं, जो शेयर प्रमाणपत्र संख्या 07 के अंतर्गत आते हैं, प्रत्येक का अंकित मूल्य रु. 100/- है तथा कुल मूल्य रु. 500/- (जिसे आगे "कार्यालय/इकाई संख्या 41-ए के लिए कथित शेयर" कहा है), के अलावा वे (सीईई-ईएस डेवलपमेंट कनसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड पूर्व में मैसर्स कनसल्टिंग इंजीनियरिंग सर्विसेस (इंडिया) प्रा. लि. के नाम से ज्ञात) मेकर टावर "ई" प्रिमाइसेस को-ऑप सोसाइटी लिमिटेड बिल्डिंग के कम्पाउंड में एक कार पार्किंग की जगह सं. 06 (मालिकाना आधार पर) के भी हकदार हैं, यह को-ऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत है, जिसका पंजीकरण सं. बीओएम/डब्ल्यू-ए/जीएनएल/0/317/90-91 है, यह मेकर टावर "ई", मुंबई-400 005 में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 1105.051 वर्ग फुट (कार्पेट एरिया) है; यह बिल्डिंग कोलाबा डिवीजन के प्लॉट सं. 73ए, 74, 83, 84 एवं 85 के सी एस सं. 641 वाली भूमि पर निर्मित है।

मालिकाना विलेख की गुमशुदगी

मैसर्स हरिभाई एस्टेट्स प्रा. लि., जिसका पंजीकृत कार्यालय मेकर भवन I, सर वी.टी. मार्ग, मुंबई-400 020 (जिसे कथित अनुबंध/मालिकाना विलेख दिनांक 27 मार्च 1980 में बिल्डर्स के रूप में संदर्भित किया गया है) तथा मैसर्स कनसल्टिंग इंजीनियरिंग सर्विसेस (इंडिया) प्रा. लि. (जिसे कथित अनुबंध/मालिकाना विलेख दिनांक 27 मार्च, 1980 में क्रेता के रूप में संदर्भित किया गया है तथा अब मैसर्स सीईई-ईएस डेवलपमेंट कनसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ज्ञात) के बीच उपरोक्त अनुसूची में वर्णित कार्यालय परिसर के संबंध में दिनांक 27 मार्च 1980 (उन्नीस सौ अस्सी) को संपादित मालिकाना विलेख गुम/खो हो चुका है। इस संबंध में कफ परेड थाना में गुमशुदगी रिपोर्ट सं. 174602-2025 दिनांक 29/12/2025 दर्ज की गई है।
कोई भी व्यक्ति जिसका कथित शेयरों और/अथवा कार्यालय पर विरासत, गिरवी, बिक्री, उपहार, पट्टा, ग्रहणाधिकार, प्रभार, न्यास, रखरखाव, सुखाधिकार अथवा किसी भी अन्य प्रकार से कोई दावा है, उनसे एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि वे इस सूचना की तारीख से **14 दिनों** के भीतर, नीचे दिए गए मेरे कार्यालय के पते पर, अधोहस्ताक्षरी को लिखित रूप में अपने दावे की जानकारी प्रदान करें; अन्यथा, यह बिक्री किसी भी दावे पर विचार किए बिना पूरी कर दी जाएगी और यदि कोई दावा है भी, तो उसे समाप्त माना जाएगा।
दिनांक 14 अप्रैल, 2026

हस्ता/-
एडवो. (श्री) सुरेन्द्र के. सिंह
एडवोकेट बॉम्बे उच्च न्यायालय
दूरभाषः + 91 98691 28675,
ईमेलः advsurendrakedarsingh@gmail.com
एडवोकेट्स बार रूम, पहली मंजिल, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट, महापालिका मार्ग, मुंबई-400 001

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के समक्ष
नई दिल्ली पीठ, नई दिल्ली
(मूल क्षेत्राधिकार)
कंपनी याचिका सं. सीपी (सीएए) 20 (एनडी) ऑफ 2026
के साथ संबंधित
कंपनी आवेदन सं. सीए (सीएए) 84 (एनडी) ऑफ 2025
कंपनीज़ अधिनियम, 2013 (18 ऑफ 2013)
धारा 230 एवं 232 के मामले में
और
समामेलन की योजना के मामले में

एडामारिस कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड याचिकाकर्ता/हस्तांतरणकर्ता कंपनी सं0. 1
फ्यूचर विज़न फाइनेंशियल एडवाइज़र्स प्राइवेट लिमिटेड याचिकाकर्ता/हस्तांतरणकर्ता कंपनी सं0. 2
ट्रेज़र ट्रोव पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड याचिकाकर्ता/हस्तांतरणकर्ता कंपनी सं0. 3
के साथ
शांति कैपइनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड याचिकाकर्ता/हस्तांतरिती कंपनी

सभी हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरिती कंपनियां, कंपनीज़ अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित है, हस्तांतरणकर्ता कंपनी सं0. 1 का पंजीकृत कार्यालय फ्लैट नं. 605, नौरंग हाउस, 21 के. जी. मार्ग, नई दिल्ली - 110001 में स्थित है और हस्तांतरणकर्ता कंपनी सं0. 2, 3 और हस्तांतरी कंपनी का पंजीकृत कार्यालय बी-421/5, सोमदत्त चैंबर-1, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली- 110066 में स्थित है।

याचिका की सूचना

एडामारिस कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, फ्यूचर विज़न फाइनेंशियल एडवाइज़र्स प्राइवेट लिमिटेड, ट्रेज़र ट्रोव पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ शांति कैपइनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के समामेलन की योजना की मंजूरी हेतु, कंपनीज़ अधिनियम, 2013, की धारा 230 से 232 के अंतर्गत एक याचिका उपर्युक्त नाम के याचिकाकर्त्ताओं द्वारा 25 मार्च, 2026 को प्रस्तुत की गई तथा कथित याचिका 13 मई, 2026 को प्रातः 10:30 बजे माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली बेंच, नई दिल्ली के ब्लॉक नं0. 3, ग्राउंड, 6, 7 और 8 फ्लोर, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003 के समक्ष सुनवाई हेतु निर्धारित की गई हैं। कोई व्यक्ति उक्त याचिका का समर्थन अथवा विरोध हेतु इच्छुक है तो वह अपने नाम तथा पते के साथ अपनी इरादे की सूचना याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता को प्रेषित करे, जो कि याचिकाकर्त्ताओं के अधिवक्ता के पास याचिका की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि से कम से कम 7 दिन से ज्यादा विलम्ब से नहीं पहुंचनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को उक्त याचिका पर आपत्ति है तो आपत्ति के कारणों के साथ शपथपत्र इस सूचना के साथ संलग्न होनी चाहिए। याचिका की प्रति चाहने वाला कोई भी व्यक्ति निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर इसे प्राप्त कर सकता है।

हस्ता./-
स्थानः नई दिल्ली मुकेश सुखीजा
दिनांकः 11.04.2026 याचिकाकर्त्ता के अधिवक्ता
एसीएस एंड एसोसिएट्स, लॉ ऑफिसिस
'आस्था', एलपी-11सी, पीतमपुरा, दिल्ली 110034
फोन नं.: 011-40196434, मोबाइलः 9810296468
ईमेल आईडीः mukesh@aasthalaw.com

HDFC BANK We understand your world
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड **मांग सूचना**
शाखा का पताः द्वितीय एवं तृतीय तल, प्रीमियर प्लाजा, 106 राजपुर रोड, एस्टले हॉल के सामने, देहरादून-248 001
Tel. : 18002100018 CIN : L65920MH1994PLC080618 वेबसाइट : www.hdfcbank.com

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 धारा 13(2) के अन्तर्गत
जैसा कि, (माननीय एनसीएलटी-मुम्बई द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2023 के आदेश द्वारा अनुमोदित समामेलन योजना के आधार पर पूर्ववर्ती एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ विलय हो गया है) **(एचडीएफसी)** वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत **एचडीएफसी बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग सूचना जारी कर जहां नीचे सूचीबद्ध ऋणी/उधारकर्ता/कानूनन वारिसों/ कानूनन प्रतिनिधियों को नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार संबंधित सूचनाओं की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित मांग सूचना/ सूचनाओं में वर्णित राशि को वापस लौटाने के लिये कहा था। अधोहस्ताक्षरी ने उक्त ऋणी/उधारकर्ता/कानूनन वारिसों/कानूनन प्रतिनिधियों के अंतिम ज्ञात पते के परिसरों में भी इन सूचनाओं को चिपकवाया था। उक्त सूचनाओं की प्रतियां अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं, तथा उक्त ऋणी/उधारकर्ता/कानूनन वारिसों/कानूनन प्रतिनिधियों यदि वे ऐसा चाहें, उक्त प्रतियों को किसी भी कार्य दिवस को सामान्य कार्यालय अवधि के दौरान अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त कर सकते हैं।
उपरोक्त के सिलसिले में एक बार पुनः एतद्द्वारा उक्त ऋणी/उधारकर्ता/कानूनन वारिसों/कानूनन प्रतिनिधियों को सूचित किया जाता है कि वे उक्त ऋणी द्वारा निष्पादित लिखित में, यदि कोई हो, किसी भी अन्य दस्तावेजों के साथ पठित ऋण अनुबंध के अंतर्गत कॉलम सी में नीचे वर्णित तिथि से भुगतान एवं/अथवा उगाही की तिथि तक उक्त मांग सूचना में वर्णित लागू होने योग्य दरों पर आगे के ब्याज के साथ यहां नीचे दर्शायी गयी राशि का इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर **एचडीएफसी** को भुगतान कर दें। ऋण की देय पुनर्भुगतान के लिए प्रतिभूति के रूप में क्रमशः उक्त ऋणी द्वारा **एचडीएफसी** के पास निम्नलिखित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को बन्धक रखा गया है:
ऋणी/उधारकर्ता (ओं)/कानूनन वारिस (ओं) /कानूनन प्रतिनिधि (यों) का ध्यान सरफेसी एक्ट की धारा 13 की उप-धारा(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है कि तय समय सीमा में प्रतिभूत परिसम्पत्ति को रीडीम (मोचन) कर सकते हैं।

क्र0 सं0	उधारकर्ता/कानूनन वारिसों/ कानूनन प्रतिनिधियों का नाम	कुल बकाया धनराशि (रु0)*	मांग सूचना की तिथि	प्रतिभूत परिसम्पत्ति/अचल सम्पत्ति का विवरण
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)
1	**श्री बचन सिंह** पिता श्री सर्विस कुमार एवं श्रीमती मोनी (अब मृतक) एवं प्राकृतिक संरक्षक मास्टर शौर्य एवं अन्य जाने अन्जाने कानूनी उत्तराधिकारी और कानूनी प्रतिनिधि श्री सर्विस कुमार एवं श्रीमती मोनी (अब मृतक)	**31,77,008/-** दिनांक 28.02.2026 तक एवं 01.03.2026 से देय ब्याज	06.04.2026	सम्पत्ति के समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग खसरा नं0 329 एम पर मकान, ग्राम धनढेरा, रूड़की, वर्तमान और भविष्य दोनों का निर्माण सहित

*भुगतान और/या वसूली की तिथि तक लागू दर से ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क सहित। यदि, उक्त ऋणदाता **एचडीएफसी** को उपरोक्त भुगतान करने में विफल होते हैं, तो इस अधिनियम की धारा 13(4) लागू होने योग नियमों के अंतर्गत **एचडीएफसी** लागतों एवं परिणामों के संदर्भ में उक्त ऋणी/उधारकर्ता/कानूनन वारिसों/ कानूनन प्रतिनिधियों की सम्पूर्ण जोखिम पर ऊपर प्रतिभूत परिसम्पत्तियों/अचल सम्पत्तियां के प्रति आगे की कार्रवाई करेगी।
इस अधिनियम के अंतर्गत **एचडीएफसी** की पूर्व लिखित सहमति के बिना उक्त ऋणी/उधारकर्ता/कानूनन वारिसों/कानूनन प्रतिनिधियों बिक्री, पट्टा अथवा अन्य रूप में उपरोक्त प्रतिभूत परिसम्पत्तियों/अचल सम्पत्तियों का अंतरण नहीं कर सकते हैं।
यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करते हैं अथवा इस अधिनियम के प्रावधानों अथवा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों का उल्लंघन करने पर इस अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत कैद एवं/अथवा दंड हो सकता है।

दिनांकः 14.04.2026, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के लिए
स्थान : रूड़की पंजीकृत कार्यालय : एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापति बपत मार्ग, लोवर पर्ल (पश्चिम) मुम्बई-400 013 प्राधिकृत अधिकारी

सांकेतिक कब्जा नोटिस

ICICI Home Finance पंजीकृत कार्यालयः आईसीआईसीआई बैंक टॉवर्स, बांद्रा-कुर्ला कॉम्पलैक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुंबई-400051
कारपोरेट कार्यालयः आईसीआईसीआई एचएफसी टॉवर, जेबी नगर, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई-400059
शाखा कार्यालयः भूतल, बी-1/4, कम्यूनिटी सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058

जबकि,
वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने अधोलिखित कर्जदारों को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उक्त नोटिस प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर उसमें उल्लिखित राशि चुकता करने के लिए कहा।
जैसा कि कर्जदार राशि का भुगतान करने में असफल रहा, एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे उल्लिखित संपत्ति का सांकेतिक कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से कर्जदार और सामान्य रूप में सर्व जन को संपत्ति से कोई लेन-देन न करने के लिए आगाह किया जाता है और संपत्ति का कोई भी लेन-देन आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।
प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों में कर्जदार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

क्र. सं.	कर्जदार/सह-कर्जदार के नाम/ ऋण खाता संख्या	संपत्ति का विवरण/ कब्जे की तारीख	मांग नोटिस की तारीख/मांग नोटिस में राशि (रु.)	शाखा का नाम
1.	सुरेंद्र नाथ यादव (कर्जदार), राजमुनि देवी (सह-कर्जदार), प्लॉट नंबर बी 12ए, दूसरी मंजिल हनुमान मंदिर, शताब्दी एन्क्लेव सेक्टर 49 नोएडा गौतम बुद्ध नगर गौतम बुद्ध नगर- 201301 उत्तर प्रदेश LHDWJ00001674104	संपत्ति नंबर 123 और 124, पहली मंजिल बिना छत अधिकार के, ब्लॉक- एल-2, खसरा नंबर 58/23 में से, गाँव हस्तसाल के इलाके में स्थित, मोहन गार्डन नाम की कॉलोनी, उत्तम नगर, नई दिल्ली- 110059, क्षेत्रफल 80 वर्ग गज। सीमाएँ- उत्तर में: संपत्ति नंबर एल-2-124, दक्षिण में: प्लॉट का हिस्सा, पूर्व में: 15 फुट की सड़क, पश्चिम में: 10 फुट की गली/ कब्जे की तारीख- 09-04-2026	15-01-2026 रु. 34,50,220/-	पश्चिमी दिल्ली-जनकपुरी
2.	सुरेंद्र नाथ यादव (कर्जदार), राजमुनि देवी (सह-कर्जदार), प्लॉट नंबर बी 12ए, दूसरी मंजिल हनुमान मंदिर, शताब्दी एन्क्लेव सेक्टर 49 नोएडा गौतम बुद्ध नगर गौतम बुद्ध नगर- 201301 उत्तर प्रदेश LHDWJ00001674213	संपत्ति नंबर 123 और 124, पहली मंजिल बिना छत अधिकार के, ब्लॉक- एल-2, खसरा नंबर 58/23 में से, गाँव हस्तसाल के इलाके में स्थित, मोहन गार्डन नाम की कॉलोनी, उत्तम नगर, नई दिल्ली- 110059, क्षेत्रफल 80 वर्ग गज। सीमाएँ- उत्तर में: संपत्ति नंबर एल-2-124, दक्षिण में: प्लॉट का हिस्सा, पूर्व में: 15 फुट की सड़क, पश्चिम में: 10 फुट की गली/ कब्जे की तारीख- 09-04-2026	15-01-2026 रु. 72,879.99/-	पश्चिमी दिल्ली-जनकपुरी

उपरोक्त कर्जदार(ओं)/जमानती(ओं) को एतद्द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए 30 दिनी नोटिस दिया जाता है, अन्यथा बंधक संपत्तियाँ प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 और 9 के तहत प्रावधानों के अनुसार इस नोटिस प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति पर बिक्री की जायेंगी।
दिनांकः 14 अप्रैल, 2026 प्राधिकृत अधिकारी,
स्थानः दिल्ली आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड
ACRE MAKING ASSETS WORK
कॉर्पोरेट कार्यालय : यूनिट नंबर 502, सी विंग, वन बीकेसी, प्लॉट नंबर सी - 66, जी - ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई - 400051। टेलीफोन : 022 68643101।
पंजीकृत कार्यालय : 14वीं मंजिल, इरोस कॉर्पोरेट टॉवर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली - 110019।
ई-मेल : acre.arc@acreindia.in I वेबसाइट : www.acreindia.in I CIN : U65993DL2002PLC115769

सिक्योरिटाईजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

अनु. क्र.	कर्जदाता (ओं) का नाम (ए)	गिरवी संपत्ति(यों) का विवरण (बी)	एन.पी.ए की तारीख (सी)	बकाया राशि (रू.) (डी)
1.	कर्ज खाता क्र. HHLGRG00328381 1. सत्यजीत कुमार मार्फत आर्टेमिस मेडिकेयर सर्विसेज लिमिटेड 2. अंजू रानी (गारंटर)	फ्लैट नंबर डी1-10013, दसवीं मंजिल, टावर-डी1, जिसमें 414.37 वर्ग फीट का कारपेट क्षेत्र और 64.58 वर्ग फीट का बालकनी क्षेत्र है, ''कृष्णा हाउसिंग स्कीम'' में, सेक्टर-14, सोहना, गुड़गांव-122001, हरियाणा, दो पहिया पार्किंग स्थल के साथ।।	08.01.2025	रु. 8,90,445.85/- (रुपए आठ लाख नब्बे हजार चार सौ पैंतालीस और पचासी पैसे मात्र) 11.03.2026 के अनुसार

कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला(ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चर्या में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पाने वाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है।
उधार लेने वाले(लों) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भुगतान में लगातार चूक होने के कारण उधार लेने वाले(लों) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडो के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वगीकृत किया गया है। परिणामस्वरूप प्रत्येक उधार लेने वाले को अधिनियमन की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई है।
उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए कंपनी एतद्द्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवान करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अद्यतन ब्याज, लागतें, तथा शुल्कों सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने / उनके पूर्ण दायित्वों का निर्वहन करें, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपत्ति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी।
कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, ''कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चो, लागतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधि के अंदर सुरक्षित आस्ति का मोचन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपत्ति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता''।
सरफेसी अधिनियमन की धारा 13 की उप-धारा (13) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित हैं।
''किसी भी शिकायत के लिए आप श्री मोहम्मद शारिक मलिक, शिकायत निवारण अधिकारी से, फोन नंबर 011 - 66115609, ई-मेल : complaint@acreindia.in पर संपर्क कर सकते हैं. विस्तृत नीति संगठन के अंदर शिकायत निवारण तंत्र पर https://www.acreindia.in/compliance पर देखी जा सकती है''।

कृते एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड
ए सी आर ई - 180 - के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य करते हुए
स्थान : गुड़गांव प्राधिकृत अधिकारी

IDBI BANK
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, रिटेल रिकवरी, 8वीं मंजिल, प्लेट बी, ब्लॉक 2, एनबीसीसी कार्यालय परिसर, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली-110023 011-69297163

आयोजित होने वाली वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु नीलामी विक्रय सूचना
28 अप्रैल, 2026 को 11.00 बजे पूर्वा. से 12.00 बजे दोपहर तक

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार (आईडीबीआई बैंक लि.) के पास निम्नलिखित अचल सम्पत्तियाँ/प्रतिभूत आस्तियाँ बन्धककृत/प्रभारित हैं। जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत अधिकृत प्राधिकारियों ने नीचे प्रत्येक कर्जदार के सम्मुख विवरणों के अनुसार कर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं (इसके पश्चात कर्जदार कहा जायेगा) से बकायों की वसूली हेतु माँग सूचना निर्गत की है। पुनः संबंधित अधिकृत प्राधिकारियों ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में निहित शक्तियों के उपयोग में निम्नलिखित प्रतिभूत आस्तियों का भौतिक कब्जा कर लिया है। जबकि कर्जदारों से माँग सूचना के अनुसार तथा वसूलियों, यदि कोई हो, को घटाकर बैंक द्वारा व्यय भावी ब्याज, लागतों तथा प्रभारों सहित आईडीबीआई बैंक लि. के बकाया प्रतिभूत ऋणों की वसूली के लिए प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री सार्वजनिक ई-नीलामी द्वारा की जायेगी। जनसामान्य को या तो व्यक्तिगत या अधिकृत एजेन्ट के माध्यम से संविदा के लिए आमन्त्रित किया जाता है।

परिसंपत्तियों की बिक्री का सुरक्षित कार्यक्रम

क्र. सं.	कर्जदार/ (सह-कर्जदार)/ जमानती का नाम	माँग सूचना की तिथि तथा उसमें उल्लिखित बकाया राशि	प्रतिभूत आस्तियों का विवरण	कब्जे की स्थिति (भौतिक या सांकेतिक)	कब्जे की तिथि	आरक्षित मूल्य	जमा धरोहर राशि (ईएमडी)	ईएमडी तथा बोली दस्तावेज जमा करने की अन्तिम तिथि तथा समय	खाते का विवरण जिसमें आरटीजीएस /एनईएफटी के माध्यम से ईएमडी जमा करनी है तथा आईएफएससी कोड	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय	बोली वृद्धि
1.	कविता झा	22.09.2021 तथा 10.03.2021 तक रु. 1,06,26,619/- एवं 10.03.2021 से भावी ब्याज एवं विधिक प्रभार	फ्लैट नं. 2026 एमसीआई, रेजीडेंशियल सर्विस सूट, दूसरी मंजिल, प्लॉट नं. 1, सेक्टर-5, वसुन्धरा, गाजियाबाद, उ.प्र.-201010	भौतिक	11.03.2024	रु. 33,00,000/-	3,50,000/-	27.04.2026	खाता संख्या : 0103491501026 नामः आईडीबीआई बैंक लिमिटेड आईएफएससी कोड : IBKL0000010	21.04.2026 2.30 बजे अप. से 4.00 बजे अप.	रु. 1,000/-
				अधिकृत प्राधिकारी/नोडल अधिकारी का नाम तथा सम्पर्क नं. नितेश कुमार राय 9974121899, लैंडलाइन नं.: 011-69297276, श्री इन्दरपाल सिंहः 011-69297163							

ई-नीलामी बिक्री के संक्षिप्त नियम एवं शर्तें : बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियम एवं शर्तों के अनुरूप की जायेगी। (1) प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री **''जहाँ है जैसे है आधार,'' ''जो है यही है आधार'', ''जो कुछ भी है वहीं है आधार'' तथा ''आश्रय रहित आधार''** पर प्रतिभूत लेनदार अर्थात आईडीबीआई बैंक लि. के लिए तथा उसकी ओर से की जायेगी। (2) यह बिक्री इस विज्ञापन तथा ''संविदा दस्तावेज'' में दिये गये नियमों तथा शर्तों के पूर्णतः अनुरूप की जायेगी। संविदा दस्तावेज हमारे किसी भी कार्यालय से सभी कार्यकारी दिवसों पर प्राप्त किये जा सकते हैं अथवा आईडीबीआई की वेबसाइट अर्थात www.idbibank.in तथा www.bankeauctionwizard.com से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं। (3) बिक्री ई-नीलामी वेबसाइट https://www.bankeauctions.com पर ई-नीलामी सेवा प्रदाता बैंकनेट, https://baanknet.com, https://psballiance.com के माध्यम से होगी। (4) अधिकृत प्राधिकारी को यदि स्वीकार्य प्रतीत न हो तो उपर्युक्त किसी संविदा को स्वीकार करने या सभी संविदाओं को अस्वीकार करने या बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी को विलम्बित/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है और इस सम्बन्ध में उसका निर्णय अन्तिम होगा। (5) सफल संविदाकार को जमा की गयी धरोहर राशि सहित बिक्री मूल्य का 25% बिक्री की पुष्टि के समय जमा करना अपेक्षित है। बिक्री मूल्य की शेष राशि बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के भीतर या एओ द्वारा सहमति के अनुसार विस्तारित अवधि के भीतर अदा करनी होगी। निर्धारित अवधि के भीतर शेष राशि जमा करने में असफल होने पर धरोहर राशि सहित जमा की गयी राशि जब्त कर ली जायेगी। (6) 25% संविदा राशि तुरन्त जमा करने अथवा निर्धारित अवधि के भीतर संविदा राशि का शेष 75% जमा करने में चूक करने पर पहले से जमा की गयी राशि जब्त कर ली जायेगी और प्रतिभूति आस्तियों का पुनः विक्रय किया जायेगा। (7) पंजीकरण प्रभार, स्टैम्प शुल्क, कर आदि सहित समस्त विधिक देयताएँ/सहायक प्रभार/अन्य बकायों का वहन क्रेता द्वारा किया जायेगा। अधिक विवरण, सम्पूर्ण नियम एवं शर्तों के लिए कृपया www.idbibank.in देखें तथा/अथवा ऊपर प्रत्येक सम्पत्ति के सम्मुख उल्लिखित नोडल अधिकारियों/अधिकृत प्राधिकारियों से सम्पर्क करें।

सरफैसी अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के तहत 30 दिवसीय वैधानिक बिक्री सूचना
कर्जदार/गारंटरों को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के तहत आवश्यक दिनांक 11.02.2026 को नोटिस दिया गया है।

तिथि : 13.04.2026, स्थान : नई दिल्ली ह./- अधिकृत प्राधिकारी, आईडीबीआई बैंक लि.

एचबी पोर्टफोलियो लिमिटेड
CIN : L67120HR1994PLC034148
पंजी. कार्यालय : प्लॉट नं. 31, एशलॉन इंस्टिट्यूशनल एरिया, सैक्टर-32, गुरुग्राम-122001, हरियाणा
फोन : + 91-124-4675500, फैक्स : + 91-124-4370985
ई-मेल : corporate@hbportfolio.com, वेबसाइट : www.hbportfolio.com

भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः प्रस्तुत करने के लिए विशेष विंडो

सेबी के सर्कुलर नंबर HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 दिनांकित 30 जनवरी, 2026 के अनुसरण में, **एचबी पोर्टफोलियो लिमिटेड** (कम्पनी) के शेयरहोल्डर्स को सूचित किया जाता है कि शेयरों के हस्तांतरण अनुरोध पुनः प्रस्तुत करने के लिए **05 फरवरी, 2026 से 04 फरवरी, 2027** तक स्पेशल विंडो खोली गई है, जो विशेष रूप से उन अनुरोधों के लिए है जो 01 अप्रैल, 2019 की समयसीमा से पहले प्रस्तुत किए गए थे। मूल शेयर हस्तांतरण अनुरोध जो दस्तावेजों में कमियों के कारण अस्वीकृत/वापस कर दिए गए/विचारित नहीं किए गए थे या किसी और वजह से प्रोसेस नहीं किए गए थे।
पात्र शेयरहोल्डर अपना हस्तांतरण अनुरोध आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित समयावधि के अंदर कम्पनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) **आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड** को उनके कार्यालय के पते बी-25/1, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज़ 2, नई दिल्ली, भारत, 110020, फोनः 011-26387321 पर प्रस्तुत कर सकते हैं या **investor.services@rcmcdelhi.com** पर ईमेल भेज सकते हैं।
यदि कम्पनी/आरटीए द्वारा सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं, तो शेयर हस्तांतरण केवल डीमैटेरियलाइज़्ड रूप में प्रोसेस किया जाएगा और कंपनी/आरटीए द्वारा पंजीकरण की तिथि से 1 (एक) वर्ष की अवधि के लिए लॉक-इन रहेगा और उक्त वर्णित लॉक-इन-पीरियड के दौरान इसे हस्तांतरित/मार्क्ड/बंधक नहीं रखा जाएगा। इसलिए, हस्तांतरिती के पास एक डीमैट खाता होना चाहिए और कंपनी/आरटीए के पास हस्तांतरण अनुरोध प्रस्तुत करते समय आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपनी क्लाइंट मास्टर लिस्ट (सीएमएल) की एक प्रति उपलब्ध करानी होगी।

कृते एचबी पोर्टफोलियो लिमिटेड
हस्ता./-
मीनू पपरेजा
तिथि : फरवरी 13, 2026 (कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)
स्थान : गुरुग्राम Membership No. F11607

एचबी एस्टेट डवलपर्स लिमिटेड
CIN: L99999HR1994PLC034146
पंजी. कार्यालय : प्लॉट नं. 31, एशलॉन इंस्टिट्यूशनल एरिया, सैक्टर-32, गुरुग्राम-122001, हरियाणा
फोन : + 91-124-4675500, फैक्स नं. : + 91-124-4370985
ई-मेल : corporate@hbestate.com, वेबसाइट : www.hbestate.com

भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोध पुनः प्रस्तुत करने के लिए स्पेशल विंडो

सेबी के सर्कुलर नंबर HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/ I/3750/2026 दिनांकित 30 जनवरी, 2026 के अनुसरण में, **एचबी एस्टेट डवलपर्स लिमिटेड** (कम्पनी) के शेयरहोल्डर्स को सूचित किया जाता है कि शेयरों के हस्तांतरण अनुरोध पुनः प्रस्तुत करने के लिए **05 फरवरी, 2026 से 04 फरवरी, 2027** तक स्पेशल विंडो खोली गई है, जो विशेष रूप से उन अनुरोधों के लिए है जो 01 अप्रैल, 2019 की समयसीमा से पहले प्रस्तुत किए गए थे। मूल शेयर हस्तांतरण अनुरोध जो दस्तावेजों में कमियों के कारण अस्वीकृत/वापस कर दिए गए/विचारित नहीं किए गए थे या किसी और वजह से प्रोसेस नहीं किए गए थे।
पात्र शेयरहोल्डर अपना हस्तांतरण अनुरोध आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित समयावधि के अंदर कम्पनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) **आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड** को उनके कार्यालय के पते बी-25/1, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज़ 2, नई दिल्ली, भारत, 110020, फोनः 011-26387321 पर प्रस्तुत कर सकते हैं या **investor.services@rcmcdelhi.com** पर ईमेल भेज सकते हैं।
यदि कम्पनी/आरटीए द्वारा सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं, तो शेयर हस्तांतरण केवल डीमैटेरियलाइज़्ड रूप में प्रोसेस किया जाएगा और कंपनी/आरटीए द्वारा पंजीकरण की तिथि से 1 (एक) वर्ष की अवधि के लिए लॉक-इन रहेगा और उक्त वर्णित लॉक-इन-पीरियड के दौरान इसे हस्तांतरित/मार्क्ड/बंधक नहीं रखा जाएगा। इसलिए, हस्तांतरिती के पास एक डीमैट खाता होना चाहिए और कंपनी/आरटीए के पास हस्तांतरण अनुरोध प्रस्तुत करते समय आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपनी क्लाइंट मास्टर लिस्ट (सीएमएल) की एक प्रति उपलब्ध करानी होगी।

कृते एचबी एस्टेट डवलपर्स लिमिटेड
हस्ता./-
एनवीके राव
तिथि : अप्रैल 13, 2026 (कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)
स्थान : गुरुग्राम Membership No. A35382

एचबी स्टॉकहोल्डिंग्स लिमिटेड
CIN: L65929HR1985PLC033936
पंजी. कार्यालय : प्लॉट नं. 31, एशलॉन इंस्टिट्यूशनल एरिया, सैक्टर-32, गुरुग्राम-122001, हरियाणा
फोन : + 91-124-4675500, फैक्स नं. : + 91-124-4370985
ई-मेल : corporate@hbstockholdings.com, वेबसाइट : www.hbstockholdings.com

भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोध पुनः प्रस्तुत करने के लिए स्पेशल विंडो

सेबी के सर्कुलर नंबर HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/ I/3750/2026 दिनांकित 30 जनवरी, 2026 के अनुसरण में, **एचबी स्टॉकहोल्डिंग्स लिमिटेड** (कम्पनी) के शेयरहोल्डर्स को सूचित किया जाता है कि शेयरों के हस्तांतरण अनुरोध पुनः प्रस्तुत करने के लिए **05 फरवरी, 2026 से 04 फरवरी, 2027** तक स्पेशल विंडो खोली गई है, जो विशेष रूप से उन अनुरोधों के लिए है जो 01 अप्रैल, 2019 की समयसीमा से पहले प्रस्तुत किए गए थे। मूल शेयर हस्तांतरण अनुरोध जो दस्तावेजों में कमियों के कारण अस्वीकृत/वापस कर दिए गए/विचारित नहीं किए गए थे या किसी और वजह से प्रोसेस नहीं किए गए थे।
पात्र शेयरहोल्डर अपना हस्तांतरण अनुरोध आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित समयावधि के अंदर कम्पनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) **आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड** को उनके कार्यालय के पते बी-25/1, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज़ 2, नई दिल्ली, भारत, 110020, फोनः 011-26387321 पर प्रस्तुत कर सकते हैं या **investor.services@rcmcdelhi.com** पर ईमेल भेज सकते हैं।
यदि कम्पनी/आरटीए द्वारा सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं, तो शेयर हस्तांतरण केवल डीमैटेरियलाइज़्ड रूप में प्रोसेस किया जाएगा और कंपनी/आरटीए द्वारा पंजीकरण की तिथि से 1 (एक) वर्ष की अवधि के लिए लॉक-इन रहेगा और उक्त वर्णित लॉक-इन-पीरियड के दौरान इसे हस्तांतरित/मार्क्ड/बंधक नहीं रखा जाएगा। इसलिए, हस्तांतरिती के पास एक डीमैट खाता होना चाहिए और कंपनी/आरटीए के पास हस्तांतरण अनुरोध प्रस्तुत करते समय आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपनी क्लाइंट मास्टर लिस्ट (सीएमएल) की एक प्रति उपलब्ध करानी होगी।

कृते **एचबी स्टॉकहोल्डिंग्स लिमिटेड**
हस्ता./-
पूजा जैन
तिथि : अप्रैल 13, 2026 (कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)
स्थान : गुरुग्राम M. No: F11719

डीएमआई हाउसिंग फाइनैंस प्राइवेट लिमिटेड **मांग सूचना**
DMI HOUSING FINANCE
पंजीकृत कार्यालयः एमबीडी हाउस, गुलाब भवन, दूसरी मंजिल, 6 बहादुर साह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, दूरभाषः 91-011 66107107, 011-69223700, ईमेलः dmi@housingfinance.in, U65923DL2011PTC216373

चूंकि यहां नीचे उल्लेखित कर्जदारों/सह-कर्जदारों/गारंटरों/गिरवीदाताओं ने डीएमआई हाउसिंग फाइनैंस प्राइवेट लिमिटेड से वित्तीय सहायता हासिल की है। हमलोग यह उल्लेख करते हैं कि वित्तीय सहायता हासिल करने के वाबजूद, कर्जदारों/सह-कर्जदारों/गारंटरों/गिरवीदाताओं ने नियत तिथियों के अनुसार ब्याज तथा मूलधन की रकम चुकता करने में कई बार विफल हो चुके हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशावलियों/दिशानिर्देशों के अनुसार यहां नीचे उल्लेखित तिथियों को संबंधित खाते को अनर्जक सम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है, फलस्वरूप डीएमआई हाउसिंग फाइनैंस प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी ने वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन तथा धारा 13(12) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत यहां नीचे उल्लेखित संबंधित तिथियों को मांग सूचनाएं जारी की थी, जिसमें नीचे उल्लेखित कर्जदारों/गारंटरों/गिरवीदाताओं को संबंधित सूचनाओं की तिथियों से 60 दिनों के अंदर सूचना में उल्लेखित रकम के साथ भुगतान करने की तारीख तक सूचनाओं में उल्लेखित रकम पर अनुबंधकीय दर पर आगे के ब्याज तथा आकस्मिक व्यय, लागत, प्रभार इत्यादि की रकम चुकता करने को कहा गया है।

क्र. सं.	कर्जदार/सह-कर्जदार/ गारंटर का नाम	बकाया रकम (रु.)	ऋण रकम (रु.)	ऋण खाता सं.
1.	1. विजय सिंह 2. कुशमा हरि चंद	रु. 744210/- (सात लाख चौवालीस हजार दो सौ दस)	रु. 620285 सूचना की तिथि 31.03.2026	GG1255571 एनपीए की तिथि 5 अप्रैल, 2025
	सम्पत्ति की अनुसूचीः सम्पत्ति का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा **वैध पताः** खसरा सं. 127 रोशन एनक्लेव मौजा नागला काली आगरा उत्तर प्रदेश 282001 भारत पर मकान क्षेत्रफल 420 वर्ग फीट **चौहदी निम्नानुसारः** उत्तर की ओरः अन्य का मकान, दक्षिण की ओरः अन्य का प्लॉट, पूर्व की ओरः 10 फीट सड़क, पश्चिम की ओरः वीरेन्द्र का मकान।			
2.	1. राजा राम चौधरी 2. केएम सुनील देवी 3. संतो संतो 4. घूरे सिंह 5. सोनू (गारंटर)	रु. 2528188/- (पच्चीस लाख अठाईस हजार एक सौ अट्ठासी)	रु. 2326754 सूचना की तिथि 12-फरवरी-2026	LOS2024110003877 एनपीए की तिथि 5 अप्रैल, 2025
	सम्पत्ति की अनुसूचीः सम्पत्ति का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा **वैध पताः** प्लॉट सं. 131 506 मौजा भगोसा तहसील गोवर्धन मथुरा उत्तर प्रदेश 281502 भारत क्षेत्रफल 502.25 वर्ग मीटर **चौहदी निम्नानुसारः** उत्तर की ओरः 11 फीट चौड़ी सड़क के बाद 20.5 फीट परिमाप, दक्षिण की ओरः मदन एवं ओमी के मकान के बाद 20.5 फीट परिमाप, पूर्व की ओरः 8 फीट सड़क के बाद 24.5 फीट परिमाप, पश्चिम की ओरः नेम सिंह का मकान 24.5 फीट परिमाप।			
3.	1. अमित कुमार 2. वर्षा देवी	रु. 1050779/- (दस लाख पचास हजार सात सौ उनासी)	रु. 953557 सूचना की तिथि 12-फरवरी-2026	LOS2025020002783 एनपीए की तिथि 9 दिसंबर, 2025
	सम्पत्ति की अनुसूचीः सम्पत्ति का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा **वैध पताः** गाटा संख्या 435, प्राथमिक विद्यालय के पास, उतवारा, परगना टप्पल, मौजा उतवारा, तहसील खैर, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश 202165, भारत। क्षेत्रफलः 145.08 वर्ग गज (122 वर्ग मीटर)। **चौहदी निम्नानुसारः** उत्तर मेंः 12 फीट चौड़ी सड़क के बाद 42 फीट परिमाप; दक्षिण मेंः राजेश के मकान के बाद 47 फीट परिमाप; पूर्व मेंः 11 फीट चौड़ी सड़क फीट बाद 28 फीट; पश्चिम मेंः ओम प्रकाश के मकान के बाद 31 फीट परिमाप।			
4.	1. मोहिन्द्र सिंह रावत 2. सोनम रानी 3. सोनिया देसवाल (गरंटर)	रु. 2001886/- (दस बीस लाख एक हजार आठ सौ छियासी)	रु. 1692213 सूचना की तिथि 31-मार्च-2026	GG1256130 एनपीए की तिथि 5 अप्रैल, 2025
	सम्पत्ति की अनुसूचीः सम्पत्ति का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा **वैध पताः** खेत संख्या-516, 517 का एक भाग, मोहल्ला राज नगर, वार्ड संख्या-21, भूद, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश 203001, भारत। क्षेत्रफलः 41.83 वर्ग मीटर। **चौहदी निम्नानुसारः** उत्तर मेंः 22'-5" फीट / 8'-9" चौड़ी सड़क; दक्षिण मेंः 20'-5" फीट / अन्य का मकान; पूर्व मेंः 20'-0" फीट / जगमोहन का मकान; पश्चिम मेंः 20'-0" फीट / माया की संपत्ति।			

कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत, कोई भी कर्जदार प्रत्याभूत ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना, सूचना में उल्लिखित अपनी किसी भी प्रत्याभूत संपत्ति को बिक्री, पट्टे या किसी अन्य माध्यम से हस्तांतरित नहीं करेगा।

तारीखः 14.04.2026 डीएमआई हाउसिंग फाइनैंस प्राइवेट लिमिटेड
स्थानः दिल्ली एनसीआर के लिए तथा उनकी ओर से